संख्या–973/49–3–2012–100(15)/2006

प्रेषक,

वी0पी0 सिंह,,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांकः 15 जून, 2012.

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ को शासन द्वारा देय सदस्यता शुल्क की प्रथम किस्त की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–71/लेखा–अ, दिनॉक 02–5–2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ को शासन द्वारा देय वार्षिक सदस्यता शुल्क/अनुदान लके रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम 4 माह के व्यय हेतु रू0 3.33 लाख (रूपये तीन लाख तैतीस हजार मात्र) की प्रथम किश्त की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

2– उक्त जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था/नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–18 के अधीन लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनेत्तर–00–003–प्रशिक्षण–05–सहकारी शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान–00–20–सहायता अनुदान–सामान्य–गैर वेतन नामें डाला जायेगा।

20/6/12

––2/–

5— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0—ई—2—466/दस —2012, दिनांक 12 जून, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(वी0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या—973(1)/49—3—2012, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2— महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—2, उ0प्र0 शासन।
5— वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0, लखनऊ।
6— निदेशक, आई0सी0सी0एम0आर0टी0, लखनऊ।
7— वेब मास्टर,निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0, लखनऊ।
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वी0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।